ऑपरेशन सवेरा

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

दिनांक 16.08.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा सहारनपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी/बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **“ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”** अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष सरसावा श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.08.2025 को चैकिंग के दौरान थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में मादक पदार्थो की तस्करी करने वाला 01 वांछित शातिर नशा तस्कर/ **अभियुक्त सावेज पुत्र रिजवान उम्र 22 बर्ष मौहल्ला मिर्धान थाना सरसावा हाल पता मौहल्ला हरिजनान थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को **ग्राम सैदपुरा से ग्राम बुढेडा जाने वाले रास्ते से** गिरफ्तार किया गया । जिसके **कब्जे से 12 ग्राम नाजायज स्मैक** बरामद हुई । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त सावेज उपरोक्त के विरुद्ध थाना सरसावा पर मु0अ0स0 325/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अभ्यस्त किस्म का शातिर अपराधी है, जिसके विरुद्ध थाना सरसावा पर पूर्व मे एनडीपीएस का मुकदमा पंजीकृत है। अभियुक्त सावेज उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्क विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण - अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त ने बताया साहब मै स्मैक पीने का आदी हूं जिसे मे आने जाने वाले ट्रक चालकों से खरीद लेता हूँ जिसमे से मे कुछ अपने लिए पीने के लिए भी बचा लेता हूं और कुछ स्मैक को मे नशा करने वाले व्यक्तियो को बेच देता हूं बेची गयी स्मैक से मुझे कुछ आमदनी हो जाती है जिससे मेरा नशे का खर्चा निकल जाता है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

सावेज पुत्र रिजवान निवासी मौहल्ला मिर्धान थाना सरसावा हालपता मौहल्ला हरिजनान थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

बरामदगी -

- 12 ग्राम अवैध स्मैक

गिरफ्तार अभियुक्त सावेज उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0स0 214/2025 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना ससावा सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार सागर थाना सरसावा सहारनपुर
2. का0 2223 दुर्गेश कुमार थाना सरसावा सहारनपुर
3. का0 2413 जगदीश कुमार थाना सरसावा सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक- 16.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा पाक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 12.08.2025 को वादिया द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त आकाश पुत्र नामालूम निवासी ग्राम अम्बेटा शेखा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर द्वारा वादिया की पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 190/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुये पीड़िता को बरामद कर अभियुक्त की विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही हेतु आदेश निर्देश दिये गये, जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.08.2025 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **आकाश पुत्र यशपाल निवासी ग्राम अम्बेहटा शेखा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को बड़कला फ्लाईओवर के नीचे से गिरफ्तार किया गया एवं पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

आकाश पुत्र यशपाल निवासी ग्राम अम्बेहटा शेखा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना फतेहपुर सहारनपुर।
2. उ0नि0 सौरभ यादव थाना फतेहपुर सहारनपुर।
3. म0उ0नि0 मिथलेश राठौर थाना फतेहपुर सहारनपुर।
4. है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक- 16.08.2025

“ऑपरेशन सवेरा”

ऑपरेशन सवेरा

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना सहारनपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 112 ग्राम अवैध स्मैक (जिसकी अनुमानित कीमत करीब 11,00,000/- रूपये) व 01 स्कूटी बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी,बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **“ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”** अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक चिलकाना श्री चन्द्रसेन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.08.2025 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त शाबान उर्फ शोभान पुत्र अहमद निवासी मौ0 हामिद हसन थाना चिलकाना जिला सहारनपुर** को काना शाहजहांपुर मार्ग से दुमझेडा जाने वाले खडंजे पर आम के बाग के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके **कब्जे से 112 ग्राम नाजायज स्मैक व एक स्कूटी UP 11-CP 5013** बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 195/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अभ्यस्त किस्म का शातिर अपराधी है जिसके विरुद्ध थाना चिलकाना पर पूर्व से भी एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मकुदमे पंजीकृत है। अभियुक्त शाबान उपरोक्त के मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्क विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

शाबान उर्फ शोभान पुत्र अहमद निवासी मौ0 हामिद हसन थाना चिलकाना जिला सहारनपुर

बरामदगी -

- 112 ग्राम अवैध स्मैक
- 01 स्कूटी रजि0 नं0- UP 11-CP 5013

गिरफ्तार अभियुक्त शाबान उर्फ शोभान पुत्र अहमद का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 149/24 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 195/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. उ0नि0 श्री अंकित कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. का0 1107 अरविन्द कुमार थाना चिलकान जपनद सहारनपुर
3. है0का0 593 सहदेव कुमार थाना चिलकान जपनद सहारनपुर
4. का0 1870 पुनित यादव थाना चिलकान जपनद सहारनपुर
5. का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकान जपनद सहारनपुर

दिनांक- 16.08.2025

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 11 ग्राम अवैध व 01 मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी,बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 16.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारन पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थो की तस्करी करने वाला 01 नशा तस्कर **अभियुक्त शाहरुख पुत्र गय्यूर निवासी ग्राम तुरमतखेडी थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर** को **जानखेडा रोड सलेमपुर नहर पुल** से गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से **11 ग्राम अवैध स्मैक व एक मोटर साईकल रजि0 UP 11 DA 8169 (बजाज पल्सर)** बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0स0 0339/2025 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम शाहरुख के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मै नशे का आदी हूँ और मेरे पास कोई काम भी नही है। नशीला सामान को आस पास के जो लोग नशा करते हैं उनको अधिक पैसों में बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छी कमाई हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शाहरुख पुत्र गय्यूर निवासी ग्राम तुर्मतखेडी थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 11 ग्राम स्मैक नाजायाज।
- 01 मोटरसाइकिल रजि0 UP 11 DA 8169 (बजार पल्सर) अन्तर्गत धारा- 207 एम0वी0 एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री संजीव यादव थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर।
3. का0 95 विक्रान्त थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर।

दिनांक- 16.08.2025

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

ऑपरेशन सवेरा

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 247 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थो/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी,बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 16.08.2025 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले 02 नशा तस्कर **अभियुक्तगण 1. रविन्द्र उर्फ छोटा पुत्र सिमरू नि0 मुस्तफापुर थाना फतेहपुर सहारनपुर व 2. टोनी पुत्र सिमरू नि0 मुस्तफापुर थाना फतेहपुर सहारनपुर** को **मुजफ्फराबाद से सबरीपुर जाने वाले रास्ते पर आम के बाग के पास** से गिरफ्तार किया। अभियुक्त **रविन्द्र उर्फ छोटा** के कब्जे से **125 ग्राम अवैध चरस व अभियुक्त चोटी उपरोक्त के कब्जे से 122 ग्राम अवैध चरस** बरामद हुई । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0स0 194/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. रविन्द्र उर्फ छोटा पुत्र सिमरू नि0 मुस्तफापुर थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. टोनी पुत्र सिमरू नि0 मुस्तफापुर थाना फतेहपुर सहारनपुर को मुजफ्फराबाद

बरामदगी का विवरण:-

- 247 ग्राम अवैध चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री विजय सिंह थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. है0का0 24 सुनील थाना फतेहपुर सहारनपुर
4. हैड का0 130 नितिन थाना फतेहपुर सहारनपुर
5. हैड का0 1190 अंशु थाना फतेहपुर सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक 16.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चोरी की घटना में 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गये 1200/- रुपये नकद बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 10.08.2025 को वादी श्री रमेश कुमार उर्फ मोनू पुत्र स्व0श्री रामचन्द्र निवासी मौ0 लवकुश नगर बाल्मिकी बस्ती थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से सोने व चाँदी के जेवर और कुछ रुपये चोरी करने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0स0- 161/25 धारा- 305(**A**) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल चोरी की घटना का संज्ञान लेकर शीघ्र अभियुक्तो की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटना में विवेचना से प्रकाश में आये 01 वांछित **अभियुक्त अश्वनी उर्फ काका पुत्र मंजीत सिंह निवासी बेरी बाग थाना जनकपुरी सहारनपुर** को राकेश टाकिज पुल के सामने गली के कोने पर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 1200 रुपये नकद बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

बयान अभियुक्त – अभियुक्त अश्वनी उर्फ काका उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि दिनांक 09/10.08.2025 की रात्रि को मै तथा मेरे दो साथी मेरे घर बेरीबाग आये तथा कहने लगे कि भाई जेबखर्च खत्म हो गया है चलो कही जेब खर्चे के लिये कोई जुगाड करते है हम तीनो लोग चोरी करने के उद्देश्य से घुमते घामते वाल्मिकी बस्ती सोहराब रोड रास्ते मे जा रहे थे एक घर बंद मिला जिसमे हमलोग थोडी देर खडे होकर इधर उधर देखा और हम तीनो लोग बाउन्ड्री कूदकर अन्दर गये तथा दरवाजा खोलकर तीनो घुस गये और घर मे ढूडढांड करने लगे घर मे मुझको 2500 रुपये मिले थे तथा मेरे दोनो साथियों ने अलमारी से जेवर निकाले जो उन दोनो के पास ही है हम तीनो चोरी करके चले गये जेवर उन दोनो के पास थे और रुपये मेरे पास थे चुराये हुए 2500 रुपये मे से मेरे पास 1200 रुपये बचे थे शेष रुपये मैने नशे मे खर्च कर दिये मै नशा करता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अश्वनी उर्फ काका पुत्र मंजीत सिंह निवासी बेरी बाग थाना जनकपुरी सहारनपुर उम्र 38 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

1200/- रुपये

अभियुक्त अश्वनी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 21/2022 धारा 60(1) उत्तर प्रदेश उत्पाद-शुल्क/अबकारी अधिनियम थाना जनकपुरी सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 60/2024 धारा 60 उत्तर प्रदेश उत्पाद-शुल्क/अबकारी अधिनियम थाना जनकपुरी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. उ0नि0 श्री वेदप्रकाश थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
2. है0कां0 907 तरुण शर्मा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
3. कां0 1354 अभिषेक खोखर थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक - 16.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 16.08.2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए शांति भंग करने वाले 04 अभियुक्तगण **1- अश्वनी पुत्र धीर सिंह, 2- गौतम पुत्र रामदास, निवासीगण ग्राम सरगथल हमीद थाना जनकपुरी सहारनपुर, 3- अर्जुन पुत्र मून्नू निवासी मो0 मुन्सिपालिटी के पास बोडबाडी थाना बोडबाडी जिला डिबरूगढ आसाम हाल निवासी मो0 खानआलमपुरा थाना जनकपुरी सहारनपुर, 4- सोहेल पुत्र नसीर अहमद निवासी मो0 खानआलमपुरा थाना जनकपुरी सहारनपुर को अन्तर्गत धारा 170/126/135 बी0एन0एस0एस0** मे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता:-

1- अश्वनी पुत्र धीर सिंह निवासी ग्राम सरगथल हमीद थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
2- गौतम पुत्र रामदास निवासी ग्राम सरगथल हमीद थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
3-अर्जुन पुत्र मून्नू निवासी मो0 मुन्सिपालिटी के पास बोडबाडी थाना बोडबाडी जिला डिबरूगढ आसाम हाल निवासी मो0 खानआलमपुरा थाना जनकपुरी सहारनपुर।
4- सोहेल पुत्र नसीर अहमद निवासी मो0 खानआलमपुरा थाना जनकपुरी सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री विजय सिहं, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री सुनील कुमार, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
3. है0कां0 580 उस्मान, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
4. है0कां0 735 सूरज, थाना जनकपुरी सहारनपुर।

दिनांक:16.08.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस व स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चोरी की 02 घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर चोर/अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 कार, 02 अल्टानेटर, 10 पैकेट बिजली केबल, चोरी गये बिजली के उपकरण, प्लास्टिक का सामान, टीन के कनस्तर व घटना मे प्रयुक्त औजार बरामद।

अवगत कराना है कि **दिनांक 20.07.2025 को** वादी खैराती लाल पुत्र मालाराम निवासी मौ0 साबुतराय कस्बा अम्बैहटापीर थाना नकुड जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत वादी की दुकान कस्बा अम्बैहटापीर से 02 अज्ञात चोर द्वारा 02 तेल के टीन चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 250/25 धारा 305(a) बीएनएस पंजीकृत कराया गया तथा **दिनांक 22.07.2025 को** वादी पुष्कर कुमार पुत्र योगेन्द्र कुमार निवासी मौ0 अफगानान कस्बा व थाना नकुड जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीरी सूचना बाबत वादी का निर्माणधीन रिसोट अम्बेहटा रोड से अज्ञात चोर द्वारा जो जनरेटर के एल,टी,नेटर 10 बाक्स बिजली के तार व एक बाक्स पानी की टंकी को चोरी कर लेने के संबंध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 253/25 धारा 305(a) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त चोरी की घटानाओं का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 16.08.2025 को थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त चोरी की घटनाओं सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तगण **1.कर्मवीर पुत्र चन्द्रसिह नि0 मौ0 मोहम्मदगौरी कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर व 2. शोएब उर्फ भोला पुत्र फाजिल मौ0 कुरेशियान कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को बाईखेडी जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी हुआ सामान 01 वैगनार कार व 02 अल्टानेटर व 10 पैकेट बिजली वायर केवल व निर्माणाधीन रिसोर्ट मे चोरी गये बिजली के उपकरण व प्लास्टिक का सामान व टीन के कनस्तर बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछने पर बताया कि हम लोग चोरी चकारी कर अपना खर्चा चला लेते है। हमने वैगनआर कार काफी समय पहले पुरानी खरीदी थी और चोरी का सामान इस गाड़ी की मदद से बेच देते है। आज भी हम लोग चोरी किये सामान को बेचने जा रहे थे कि पुलिस ने हमें पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. कर्मवीर पुत्र चन्द्रसिह नि0 मौ0 मोहम्मदगौरी कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
2. शोएब उर्फ भोला पुत्र फाजिल मौ0 कुरेशियान कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 वैगनार कार (रजि0 नं0 DL2C AF 7704)

- 02 अल्टानेटर
- 10 पैकेट बिजली वायर केबल
- प्लास्टिक का सामान
- टीन के कनस्तर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. निरीक्षक श्री संजीव कुमार यादव एसओजी प्रभारी जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री विकास चारण नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. हे0का0 818 सचिन नकुड़ जनपद सहारनपुर।
5. हे0का0 सोनू शर्मा सर्विलांस प्रभारी जनपद सहारनपुर।
6. का0 11 सुनील कुमार नकुड़ जनपद सहारनपुर।
7. का0 1806 योगेश कुमार नकुड़ जनपद सहारनपुर।
8. का0 2510 हरिओम नकुड़ जनपद सहारनपुर।

दिनांक - 16.08.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 16.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा वारंटी **अभियुक्त आबिद पुत्र ईदरीश निवासी मौहल्ला महल कस्बा व थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0 1315/21 मु0अ0स0 189/2021 धारा 8/21NDPS ACT को मौहल्ला महल कस्बा रामपुर मनिहारान से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

आबिद पुत्र ईदरीश निवासी मौहल्ला महल कस्बा व थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 अनिल कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 1068 दीपक मान थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।
3. का0 339 दीपक भारद्वाज थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।

दिनांक- 16.08.2025

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अवैध चरस के साथ 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त के कब्जे से 150 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी,बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर थाना कोतवाली नगर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 15.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त मुस्तफा पुत्र गफ्फूर निवासी नूरबस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर** को कब्रिस्तान गोपालनगर मौहल्ला शनि मन्दिर के पीछे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 150 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0स0 163/2025 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट बनाम 1. मुस्तफा व 2. आरिफ के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त मुस्तफा के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. मुस्तफा पुत्र गफ्फूर निवासी नूरबस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

➢ कुल 150 ग्राम अवैध चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री विवेक कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री बलराम सिहं थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
3. है0का0 1194 कपिल कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
4. है0का 122 संजय कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
5. है0का0 978 अंकित भडाना थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
6. का0 215 सुमित तालियान थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।